



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082022-238443
CG-DL-E-29082022-238443

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206]
No. 206]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 29, 2022/भाद्र 7, 1944
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 2022/BHADRA 7, 1944

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2022

फा. सं. 30-12/2020-डीडी-III.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार अधिसूचना संख्या 38-16/2020-डीडी-III दिनांक 04.01.2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:

नोट 9 के बाद निम्नलिखित नोट को अंतः स्थापित किया जाएगा अर्थात्;

"नोट 10: लोकोमोटर दिव्यांगता के तहत ओए, ओएल, बीए, बीएल, ओएएल, बीएलओए और बीएलए के अलावा एक अलग उपश्रेणी अर्थात् किसी भी संबद्ध तंत्रिका संबंधी / लिंब डिस्पंक्शन के बिना स्पाइनल डिफॉर्मिटी (एसडी) और स्पाइनल इंजरी (एसआई) को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार, सूची में अभिचिन्हित सभी पदों को तंत्रिका संबंधी / लिंब डिस्पंक्शन के बिना एसडी / एसआई वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त अभिचिन्हित किया गया है। संबंधित तंत्रिका संबंधी / लिंब डिस्पंक्शन वाले एसडी / एसआई वाले व्यक्तियों को संबंधित उपश्रेणी जैसे ओए, ओएल, बीए, बीएल, ओएएल, बीएलओए और बीएलए जैसा भी मामला हो, के तहत कवर किया जाएगा।"

राजेश कुमार यादव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2022

F. No. 30-12/2020-DD-III.—In exercise of powers conferred upon by Section 33 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification number 38-16/2020-DD-III dated 04.01.2021 as under:

After Note 9 the following Note shall be inserted namely;

“Note 10: A separate sub category i.e. Spinal Deformity (SD) and Spinal Injury (SI) without any associated neurological/limb dysfunction shall be incorporated under Locomotor Disability in addition to OA, OL, BA, BL, OAL, BLOA and BLA. Thus, all the posts identified in the list stands identified suitable for persons with SD/SI without neurological/limb dysfunction. Persons with SD/SI with associated limb dysfunction shall be covered under the respective sub category such as OA, OL, BA, BL, OAL, BLOA and BLA, as the case may be.”

RAJESH KUMAR YADAV, Jt. Secy.